Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Uttarkashi)
Electricity Distribution Division,
Uttarkashi – 249193
Ph:-+91 7895754011, 9412139791
E-mail:-Cgrfuki@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(उत्तरकाशी)
विद्युत वितरण खण्ड उत्तरकाशी
पिनः–249193
दूरभाषः–+917895754011, 9412139791
ई–मेल :–Cgrfuki@gmail.com

परिवाद संख्या–95 / 2024 **दिनांकः– 18.10.2024**

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

उपस्थितः **श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट**
(न्यायिक सदस्य)

श्री संतोष भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री बचन लाल पुत्र श्री भरोषा लाल ग्राम / पो0 सौंदी (धौन्तरी)– उत्तरकाशी। **परिवादी**

बनाम

अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड, उत्तरकाशी– **विपक्षी**

:: निर्णय ::

परिवादी श्री बचन लाल पुत्र श्री भरोषा लाल ग्राम / पो0 सौंदी (धौन्तरी) उत्तरकाशी का शिकायती पत्र विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी को दिनांक–12 / 09 / 2024 को प्राप्त हुआ है। जो कि संयोजन संख्या–यूके11316004710, भार–01 किलोवाट, श्रेणी–बी0पी0एल0 से संबंधित है। प्रार्थनापत्र में परिवादी ने कहा है कि उन्हें जो बिल निर्गत किया गया है, वह खपत के मुकाबले अत्याधिक धनराशि का है। परिवादी ने मंच से बिल संशोधन का अनुरोध किया है।

उपरोक्त शिकायती पत्र को मंच द्वारा परिवाद के रुप में दर्ज किया गया। साथ ही मंच द्वारा अपने पत्रांक संख्या–78 / 2024 वि0उ0शि0नि0मं0उका फोरम / दिनांक–12 / 09 / 2024 के माध्यम से विपक्षी को नोटिस जारी कर दिनांक–23 / 09 / 2024 तक मंच के समक्ष आख्या / जवाब दावा सम्पूर्ण जानकारी के साथ प्रस्तुत करने के लिए आदेशित किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में मंच द्वारा दिनांक–23 / 09 / 2024 की सुनवाई के दौरान विपक्षी / विभाग द्वारा पत्रांक 786 / वि0वि0उ0ख0उ0 दिनांक 20.09.2024 के मार्फत आख्या पेश की गई। विपक्षी द्वारा उपलब्ध कराई गई संयोजन की बिलिंग हिस्ट्री के अवलोकन करने से स्पष्ट है कि उपभोक्ता के माह 03 / 2014 तक मीटर रीडिंग 2514 यूनिट पर अवशेष धनराशि रु0 7548.00 (सात हजार पांच सौ अडतालिस रुपये) थी। इसके

बाद माह 04 / 2014 से माह 12 / 2018 तक सम्पूर्ण बिल आई0डी0एफ के आधार पर निर्गत किये गये। साथ ही माह 02 / 2019 को उक्त संयोजन पर नया मीटर स्थापित किया गया जिसमें कि माह 03 / 2022 तक मीटर

क्रमशः 2.....

उपभोक्ता सदस्य 18/10/24
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

Kirti Prasad 18/10/24
न्यायिक सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

यूनिट 252 पर अवशेष धनराशि रु0 49105.00 (उनपचास हजार एक सौ पांच रुपये) थी इसके बाद माह 05/2024 तक सम्पूर्ण बीजक/बिल आई0डी0एफ के आधार पर निर्गत किये गये, और वर्तमान में उपभोक्ता पर कुल धनराशि रु0 68309.00 (अड़सठ हजार तीन सौ नौ रुपये) शेष है। सुनवाई के दौरान मंच द्वारा विपक्षी/विभाग को आदेशित किया गया कि वह परिवादी को निर्गत समस्त आई0डी0एफ बिलों को नियमानुसार सही करें और इस अवधि का सरचार्ज घटाते हुए बिल संशोधित कर आख्या अगली सुनवाई के दौरान प्रस्तुत करे।

प्रस्तुत मामले में आज दिनांक 28.09.2024 को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान विपक्षी द्वारा अधूरी आख्या प्रस्तुत की गई। इस पर मंच द्वारा विपक्षी/विभाग को न्यायहित में एक और मौका देते हुए संपूर्ण जानकारी/विवरण मंच के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिए गए। विपक्षी/विभाग द्वारा अपने पत्रांक संख्या 793 (2) दिनांक 30.09.2024 के द्वारा मंच को अवगत कराया है कि मंच के आदेशानुसार परिवादी को निर्गत आई0डी0एफ बिलों को संशोधित कर रु0 17751.00 (सत्रह हजार सात सौ इक्यावन रुपये) कर दिया गया है।

प्रस्तुत मामले में उभय पक्षों को सुनने, तथ्यों और पत्रावली के अवलोकन के बाद मंच ने पाया कि परिवादी के बिल रु0 68309.00 (अड़सठ हजार तीन सौ नौ रुपये) को विपक्षी ने संशोधित कर रु0 17751.00 (सत्रह हजार सात सौ इक्यावन रुपये) कर दिया गया है। इसका प्रमाण विपक्षी द्वारा उपभोक्ता की बिलिंग हिस्ट्री की छायाप्रति के रुप में भी मंच के समक्ष अपने जवाब के साथ प्रस्तुत की गई।

चूंकि विपक्षी ने माननीय उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी विद्युत टैरिफ आदेश अध्याय (8) के बिंदु संख्या (4) में दिए गए आई0डी0एफ बिलिंग के दिशा निर्देशों का उल्लघंन किया। मामला मंच में आने के बाद विपक्षी ने माननीय उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी विनियम में दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार परिवादी के बिल में नियमानुसार सुधार कर दिया है। इस पर परिवादी ने भी दूरभाष पर अपनी सहमति प्रकट की है। अतः उपरोक्त आधार पर परिवाद/मामला निस्तारित किया जाता है, परिवाद पर निम्नांकित आदेश पारित किया जाता है।

:: आदेश ::

परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी/विभाग द्वारा परिवादी की बिलिंग संबंधी शिकायत का निस्तारण कर परिवादी के अवशेष बिल रु0 68309.00 (अड़सठ हजार तीन सौ नौ रुपये) को सही कर रु0 17751.00 (सत्रह हजार सात सौ इक्यावन रुपये) कर दिए जाने पर मामला निस्तारित किया जाता है। विपक्षी/विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह प्रस्तुत प्रकरण में 30 दिन के भीतर अनुपालन आख्या मंच के समक्ष प्रस्तुत करे। साथ ही परिवादी अवशेष बकाया ससमय जमा करें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ऑम्बडसमैन, 80 वसंत विहार देहरादून में अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपना—अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

18/10/24

(संतोष भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

18/10/24

(कीर्ति प्रसाद भट्ट)
न्यायिक सदस्य

उपभोक्ता सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

न्यायिक सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Uttarkashi)
Electricity Distribution Division,
Uttarkashi – 249193
Ph:-+91 7895754011, 9412139791
E-mail:-Cgrfuki@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(उत्तरकाशी)
विद्युत वितरण खण्ड उत्तरकाशी
पिनः–249193
दूरभाषः–+917895754011, 9412139791
ई–मेल :–Cgrfuki@gmail.com

परिवाद संख्या–100 / 2024 **दिनांकः– 18.10.2024**

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

उपस्थितः **श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट**
(न्यायिक सदस्य)

श्री संतोष भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री बुद्धि लाल पुत्र स्व0 श्री शेरदास ग्राम अस्तल पो0 रनाडी–डुण्डा उत्तरकाशी। — परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड, उत्तरकाशी– — विपक्षी

:: निर्णय ::

परिवादी श्री बुद्धि लाल पुत्र स्व0 श्री शेरदास ग्राम अस्तल पो0 रनाडी डुण्डा उत्तरकाशी का शिकायती पत्र विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी को दिनांक–12 / 09 / 2024 को प्राप्त हुआ है। परिवादी ने उपभोक्ता भाग्यानी देवी (माता) की ओर से शिकायत दर्ज की है। शिकायतकर्ता द्वारा लिखित कथन किया गया कि उनके विद्युत संयोजन संख्या यूके24108414119 पर खपत की अपेक्षा अधिक धनराशि के बिल दिए जा रहे हैं। शिकायत कर्ता ने विद्युत बिल को सही करने तथा विद्युत संयोजन स्वयं के नाम हस्तांतरित करने का अनुरोध मंच से किया है।

उपरोक्त शिकायती पत्र को मंच द्वारा परिवाद के रुप में दर्ज किया गया। साथ ही मंच द्वारा अपने पत्रांक संख्या–83 / 2024 वि0उ0शि0नि0मं0उका फोरम / दिनांक–25 / 09 / 2024 के माध्यम से विपक्षी को नोटिस जारी कर दिनांक–28 / 09 / 2024 तक मंच के समक्ष आख्या / जवाब दावा सम्पूर्ण जानकारी के साथ प्रस्तुत करने के लिए आदेशित किया गया। प्रस्तुत परिवाद की सुनवाई

उपभोक्ता सदस्य 18/10/24
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

Kirti Prasad 18/10/24
न्यायिक सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

क्रमशः 2.....

तिथि से पूर्व विपक्षी द्वारा पत्रांक 323/वि0वि0उ0ख0चि0 दिनांक 14.10.2024 के मार्फत मंच में जवाब दिया गया कि परिवादी के विद्युत बिल दिनांक 19.08.2009 से 19.10.2010 तथा दिनांक 17.06.2011 से 14.12.2015 तक आर0डी0एफ/ए0डी0एफ पर आधारित हैं तथा इसके बाद के समस्त बिल एम0यू0 (मीटर यूनिट) पर आधारित हैं, और उपभोक्ता का वर्तमान बिल रु0 58553.00 (अट्ठावन हजार पांच सौ त्रेपन रुपये) बकाया है। विपक्षी/विभाग द्वारा उक्त प्रकरण में अधूरा जवाब दिया गया। न्यायहित में विपक्षी को एक और मौका देते हुए दिनांक 15.10.2024 तक विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। आज दिनांक 15.10.2024 को परिवाद की सुनवाई हुई। मंच ने विपक्षी/विभाग को निर्देशित किया कि माननीय विद्युत नियामक आयोग के द्वारा समय—समय पर जारी टैरिफ आदेश के अनुपालन में परिवादी को निर्गत आई0डी0एफ बिलों को नियमानुसार सही कर प्रमाण के रुप में बिलिंग हिस्ट्री अगली सुनवाई तिथि 18.10.2024 को प्रस्तुत करें।

आज दिनांक 18.10.2024 की सुनवाई के दौरान विपक्षी/विभाग द्वारा अपने पत्रांक 323-A/वि0वि0उ0ख0चि0 दिनांक 15.10.2024 के माध्यम से संशोधित बिल बिलिंग हिस्ट्री सहित पेश किया गया। विपक्षी ने अपने जवाब में मंच के समक्ष लिखित कथन किया कि परिवादी के बिल में प्रदर्शित दो बिलिंग चक्र से अधिक समस्त आई0डी0एफ बिलों को पूर्णतयः समाप्त कर बिल पुनः रु0 58553.00 (अट्ठावन हजार पांच सौ त्रेपन रुपये) से संशोधित कर रु0 13361.44 (तैरह हजार तीन सौ इकसठ रुपये चवालिस पैसे) कर दिया है। इस संबंध में विपक्षी द्वारा की गई कार्यवाही से मंच द्वारा परिवादी को दूरभाष से अवगत कराया गया। परिवादी ने विपक्षी की कार्यवाही से संतुष्टि जाहिर की।

चूंकि मामले में विपक्षी ने परिवादी को माननीय उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के द्वारा जारी दिशा—निर्देशों के विपरीत आई0डी0एफ बिल जारी किए गए थे, मामला मंच में आने के बाद विपक्षी ने अपनी गलती स्वीकार कर मंच के समक्ष संशोधित बिल, बिलिंग हिस्ट्री सहित पेश किया। इससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की अधिक बिल वाली समस्या का विद्युत विनियम के अनुसार समाधान कर दिया है। ऐसे में मामला आगे ले जाना उचित नही है। मंच ने विपक्षी को हिदायत दी कि वह उपभोक्ताओं की बिलिंग व्यवस्था में सुधार लाएं। ताकि उपभोक्ताओं पर लम्बे समय तक

क्रमशः 3............

उपभोक्ता सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

न्यायिक सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

अधिक भार न पडे। साथ ही उपभोक्ता भी समय पर विद्युत बिलों का भुगतान करे। जहां तक परिवादी के नाम परिवर्तन का सवाल है, इसके लिए आवश्यक होगा कि शिकयतकर्ता अपनी माता जी का अनापत्ति प्रमाण पत्र व अन्य आवश्यक दस्तावेज के साथ विभाग के सम्मुख आवेदन करे। इस पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई का दायित्व विभाग का होगा। उपरोक्त परिचर्या के आधार पर मामला निस्तारित किया जाता है। मामले में निम्नांकित आदेश जारी किया जाता है।

:: आदेश ::

परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी/विभाग द्वारा परिवादी की बिलिंग संबंधी शिकायत का निस्तारण कर परिवादी के अवशेष बिल रु0 58553.00 (अट्ठावन हजार पांच सौ त्रेपन रुपये) से संशोधित कर रु0 13361.44 (तैरह हजार तीन सौ इकसठ रुपये चवालिस पैसे) कर दिए जाने पर मामला निस्तारित किया जाता है। विपक्षी/विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह प्रस्तुत प्रकरण में 30 दिन के भीतर अनुपालन आख्या मंच के समक्ष प्रस्तुत करे। साथ ही परिवादी अवशेष बकाया ससमय जमा करें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ऑम्बडसमैन, 80 वसंत विहार देहरादून में अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपना—अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

18/10/24
(संतोष भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण मंच उत्तरकाशी

18/10/24
(कीर्ति प्रसाद भट्ट)
न्यायिक सदस्य

न्यायिक सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
मंच उत्तरकाशी